



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सं०सं०:SHSB/GA/HR/1685/2016 (Part-A)

आदेश सं०:.....

पटना, दिनांक :/12/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन संख्या 07/2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अधीन राज्य के चिन्हित शहरों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) के लिए Medical Officer-Part Time के संविदागत पदों पर प्रतीक्षासूची से चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित UPHC में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला	पदस्थापन UPHC	क्र० सं०	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बेगूसराय	बिसनपुर पूर्वी	1.	18072129	डॉ० चंदन कुमार
		उलाव	2.	18072119	डॉ० अनुतोष कुमार
		बाघा	3.	18072169	डॉ० मो० इरशाद अंसारी
2.	भागलपुर	हुसैनाबाद	4.	18072130	डॉ० बरूण कुमार सिन्हा
3.	दरभंगा	उर्दु बाजार	5.	18072020	डॉ० निखिल रंजन
		खाजासराय	6.	18072070	डॉ० प्रभाष कुमार
4.	मुजफ्फरपुर	अघोरीया बाजार	7.	18072239	डॉ० अजीत कुमार
		कन्हौली	8.	18072124	डॉ० काजल सिंह
5.	नालंदा	सकुन्तकला	9.	18072150	डॉ० उमा शंकर गुप्ता
		सोहसराय	10.	18072248	डॉ० मुकेश कुमार
6.	पटना	मारूफगंज	11.	18072163	डॉ० धीरेन्द्र कुमार
		दीघा मुशहरी	12.	18072249	डॉ० निहारिका सिन्हा
		झकहरी महादेव	13.	18072045	डॉ० अंजली सिंह
		कौशल नगर	14.	18072230	डॉ० जूली कुमारी
		सिपाराडीह	15.	18072116	डॉ० श्रवण कुमार
		चाँदपुर बेला	16.	18072219	डॉ० प्रिय रंजन
		पश्चिमी लोहानीपुर	17.	18072255	डॉ० अमित कुमार
		दीदारगंज	18.	18072132	डॉ० राजेश कुमार प्रसाद
		संदलपुर	19.	18072234	डॉ० अंकित सिंह
7.	पूर्णियाँ	मंगल तालाब	20.	18072082	डॉ० संजीव कुमार
		माता चौक	21.	18072041	डॉ० सुमन कुमार झा

Gan





क्र० सं०	जिला	पदस्थापन UPHC	क्र० सं०	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	रोहतास	बौलिया	22.	18072019	डॉ० अविनाश कृष्णा
9.	सारण	बड़ा तेलपा	23.	18072071	डॉ० अभिलाषा सिंह
		मासूमगंज	24.	18072062	डॉ० वैभव कश्यप

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-2 में अंकित पदस्थापन जिला के UPHC में अपना योगदान देते हुए सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का Non-judicial Stamp Paper, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक, उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
- यदि सरकारी सेवा में है या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- वैसे चयनित अभ्यर्थी, जो BMRC में निबंधन नहीं करा पाए हैं वे निबंधन करा कर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करें एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखायें, अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के प्रत्याशा में मानदेय भुगतान रोकना नहीं जाना चाहिए, अपितु किए गए कार्य के बदले भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(Signature)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- ix. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. Medical Officer-Part Time के Performance Appraisal Report (PAR) के Appraiser Authority एवं Reviewing Authority सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति तथा Accepting Authority कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना होंगे।
- xi. सभी नव-नियोजित Medical Officer-Part Time अपना PAR नवम्बर, 2020 तक संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, को हस्तगत करा देंगे। सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एक पक्ष के अन्दर प्राप्त PAR पर अपना मन्तव्य अंकित करते हुए मूलप्रति इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- xii. सभी नवनियोजित Medical Officer-Part Time को एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान, वर्ष 2019-20 के RoP के FMR Code U.8.1.5.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, नव-चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक:....., 6935

पटना, दिनांक:...../12/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उपसचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक-वित्त/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक (NUHM), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

